न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 15/2020

प्रथम पक्ष– अभिमन्यु गंझु पिता स्व0 शिवप्रियनाथ गंझु सा0 मुरगा...।

बनाम

द्वितीय पक्ष– नारायण सिंह पिता स्व0 बानेश्वर सिंह सा0 मुरगा बगैरह .....।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
26/6/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 02/2020 दिनांक 29/07/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) अभिमन्यु गंझु पिता स्व0 शिवप्रियनाथ गंझु सा0 मुरगा थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) नारायण सिंह पिता स्व0 बानेश्वर सिंह (2) बुटों देवी पति नारायण सिंह (3) प्रदीप सिंह (4) कुलदीप सिंह दोनो पिता नारायण सिंह सभी सा0 मुरगा सभी थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा मुरगा के खाता सं0 01, 03, 04 एवं 53 के भूमि में द्वितीय पक्ष द्वारा गलत तरीके से जबरजस्ती खेती करने को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– प्रथम पक्ष की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि उपरोक्त वाद थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 08/2020 दिनांक 29/07/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है उस प्रतिवेदन से श्रीमान द्वारा संतुष्ट होकर धारा 107 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई एवं उभय पक्ष के विरूद्ध कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गई है। प्रथम पक्ष श्रीमान के न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त कर श्रीमान कारण पृच्छा दिनांक 04/12/2020 ई0 को दाखिल कर चुके है। उपरोक्त वाद में द्वितीय पक्ष भी अपना कारण पृच्छा दिनांक 15/01/2021 ई0 को दाखिल कर चुका है। मौजा मुरगा थाना कामडारा जिला गुमला के खाता सं0 1, 03, 04 एवं 53 के जमीन को लेकर उभय पक्ष के बीच धारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ था जिसका वाद् संख्या एम 2 सन् 2020 अभिमन्यु गंझू प्रथम पक्ष बनाम नारायण सिंह बगैरह द्वितीय पक्ष हुआ था एवं उभय पक्ष के तरफ से सुनवाई होने के बाद वाद् श्रीमान के न्यायालय के द्वारा उपरोक्त वाद् प्रथम पक्ष के पक्ष में फैसला हुआ और प्रथम पक्ष को विमुक्त करते हुए द्वितीय पक्ष को निषेध किया गया। वाद् संख्या 2 सन् 2020 के फैसला के बाद द्वितीय पक्ष एवं उनके सहयोगी और उत्तेजित हो गए और प्रथम पक्ष को मार–पीट करने की धमकी देते रहते है। प्रथम पक्ष की द्वितीय पक्ष से अभी भी डर लगा रहता है।	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

प्रथम पक्ष की ओर से स्वयं प्रथम पक्ष अभिमन्यु गंझु पिता शिवप्रियनाथ गंझु ग्राम मुरगा जिला गुमला की ओर से गवाही दिया गया कि मैं इस केस के दोनो पक्षो को जानता हूँ जमीन विवाद की आशंका से केश हुआ है इस जमीन का खाता सं0 1, 3, 4 और 53 है खाता सं0 53 जरियागढ़ स्टेट से 03/02/1935 मे मेरे पिता जी खरीदे थे। यह जमीन शिवप्रियनाथ गंझु के नाम से है। उक्त जमीन के लेकर 1986–87 में केश हुआ था। ये जमीन खाता सं0 1, 3, 4 और 53 हमलोगो के दखल में है। जिसमे मरे हित में आदेश पारित हुआ है। मेरे हित मे आदेश पारित होने के बावदूत द्वितीय पक्ष धमकाते है। द्वितीय पक्ष के लोग अभी तक भी झगड़ा करते है और आदेश को नहीं मानते है और फसल को काट कर ले गया।

प्रतिपरीक्षण की आरे से :– आज का जो केश चल रहा है वो 107 का है। द्वितीय पक्ष के लोग खड़ा फसल को काट के ले गये । इसके वाद ही केश किये है। 1986 में भी अंचल अधिकारी, कामडारा के यहॉ केश हुआ था दाखिल खारिज के लिये जिसमें अंचल अधिकारी कामडारा मेरे पक्ष में फैसला हुआ था। अभी द्वितीय पक्ष धमकी दे रहा था जो उदण्ड प्रवृती के लोग है। धारा 144 केश में प्रथम पक्ष मेरे पक्ष में फैसला हुआ है। ऐसा नहीं है कि द्वितीय पक्ष धमकी दे रहा है।

द्वितीय पक्ष की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि उपरोक्त वाद को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा बेवजह मुझे शाररिक, मानसिक, समाजिक एवं अर्थिक रूप से पेशान किया जा रहा है। प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष की मूलवान संपत्ति ाके छीनने के लिए राज्य मशीनरी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे पक्षों की ओर से शांति भंग की आशंका पर है। खाता सं0 53 के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 105.42 ए0 ग्राम मुरगा थाना बसिया अब कामडारा जिला गुमला में महेन्द्र नाथ सिंह राधानाथ सिंह और धीपनाथ सिंह के नाम पर आर0एस0 खतियान में कैयामी के रूप में दर्ज किया गया था। अन्य भूमि सहित उक्त भूमि द्वितीय पक्षों की पुश्तैनी संपत्ति है। द्वितीय पक्ष ने अपनी उक्त पैतृत संपत्ति को किसी भी समय किसी भी प्रकार किसी माध्यम से अपने पक्ष की पैतृक संपत्ति को स्थानांतरित नहीं किया है। द्वितीय पक्ष उक्त संपत्ति में अभी भी दखलकार है। प्रथम पक्ष बाहुबल की मदद से और राज्य मशीनरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके मूल्यवान संपत्ति हड़पना चाहती है। बिना किसी लगान वाद में किराए के बकाया की वसूली के लिए सी0एन0टी एक्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत डिक्री पारित किए बिना डिक्री का निष्पादन हुआ कहा जाता है। यह कि धोखाधड़ी और गलत बयानी द्वारा प्राप्त कोई भी आदेश निर्णय और डिक्री कानून में शून्य है, इसे आदेश निर्णय और डिक्री नहीं कहा जा सकता है और एक ही कैम को संपाश्विक कार्यवाही में भी अवर के रूप में सहायता के रूप में कहा जा सकता है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा ए0भी0 पाण्डेय शास्त्री मामला है। प्रथम पक्ष और उसके सहयोगीयों के द्वारा द्वितीय पक्ष की संपत्ति पर लालची नजर है और वह इसे अवैध तरीके से छीनने चाहते है।

उक्त वाद में उभय पक्षो विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, प्रस्तुत गवाह को सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा मुरगा के खाता सं0 01, 03, 04 एवं 53 भूमि से संबंधित है। जो सक्ष्म न्यायालय से न्याय होना प्रतीत

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

होता है। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों के बची किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त हैं उक्त वाद् की कार्रवाई की समयावधि समाप्त होने एवं उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित ।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.12.24 13:49:39 +05:30
Location: 192.168.1.37